उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-6/2018/2124/37-1-2017-3(40)/2011टी0सी0-1

लखनऊ: दिनॉक: 01 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 हरिश्चन्द्र, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, बिरधा (आई0जेड0 स्कीम) सम्प्रति पशुचिकित्साधिकारी, कोटला, फिरोजाबाद को बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाली बकरियों की क्रय समिति के सदस्य के रूप में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या-1203/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा निलम्बित करते हुये कार्यालय आदेश संख्या-1206/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कार्यालय आदेश संख्या-2296/37-1-2014-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 30.06.2014 द्वारा डा0 हरिश्चन्द्र को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये सेवा में बहाल किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में डा0 हरिश्चन्द्र द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13-9-2017 द्वारा उन्हें दिये गये परिनिन्दा दण्ड को समाप्त किये जाने एवं निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 हरिश्चन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 13-9-2017 एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत श्री राज्यपाल, डा0 हरिश्चन्द्र, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, बिरधा (आई0जेड0 स्कीम) सम्प्रति पशुचिकित्साधिकारी, कोटला, फिरोजाबाद को कार्यालय आदेश संख्या-2296/37-1-2014-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 30.06.2014 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा शास्ति को समाप्त करते हुये निलम्बन अवधि में उन्हें पूर्ण वेतन/भत्ते दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-6/2018/2124(1)/37-1-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2) संयुक्त निदेशक, प्रशासन, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3) वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4) अपर निदेशक ग्रेड-2, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
5) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
6) डा0 हरिश्चन्द्र, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, बिरधा (आई0जेड0 स्कीम) सम्प्रति पशुचिकित्साधिकारी, कोटला, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com